

वशिष/इन-डेपथ/द बगि पकिचर/देश-देशांतर: इसलिये नहीं चलेगा महाभियोग

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा को पद से हटाने कलिये कांग्रेस सहति सात वपिक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिये 64 सांसदों के हस्ताक्षरों से युक्त नोटसि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को 20 अप्रैल को दिया था। लेकिन संवधान वशिषज्जों से इस मसले पर सलाह-मशवरा करने के बाद 23 अप्रैल को यह महाभियोग नोटसि इस आधार पर खारजि कर दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमतर आँकने वाले हैं।

- यहाँ यह जान लेना ज़रूरी है कि देश के संवधान में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान संवधान में कया गया है। भारत के संवधान में अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया ही राष्ट्रपति को हटाने के लिये प्रयुक्त की जा सकती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को हटाने के लिये महाभियोग चलाने का आधार सरिफ एक ही हो सकता है, और वह है संवधान का अतिक्रमण। इसके लिये प्रस्तावक को लोकसभा और राज्यसभा में 14 दनि का नोटसि देना होता है, जसि पर कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर ज़रूरी होते हैं।

48 साल पहले भी हुआ था ऐसा

एक ऐसा ही वाकया लगभग पाँच दशक पहले सामने आया था जब सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पहली बार ऐसे कदम का सामना करना पड़ा था। पूर्व सरकारी सेवक ओ.पी. गुप्ता की एक मुहिम के बाद मई, 1970 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जी.एस. ढलिलों को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति जे.सी. शाह के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौपा गया था। ओ.पी. गुप्ता ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह पर उस समय बेईमानी का आरोप लगाया था जब उन्होंने एक सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ कुछ टपिपणयों की थीं। बहरहाल, स्पीकर ने नोटसि को 'महत्त्वहीन' बताकर खारजि कर दिया था।

खारजि करने के पक्ष में 22 कारण

संवधान वशिषज्जों और जानकारों के साथ वसितार से वचिर-वमिरश करने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा पर महाभियोग चलाने के लिये 20 अप्रैल को राज्यसभा में सात वपिक्षी दलों के 64 सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटसि को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने खारजि कर दिया।

क्या कहा राज्यसभा सभापति ने?: प्रस्ताव में जनि तथ्यों के बारे में कहा गया है उससे इसका कोई वास्तविक कारण नहीं बनता है कि मुख्य न्यायाधीश को दुरव्यवहार के लिये गलत ठहराया जाए। जनि सांसदों ने महाभियोग का नोटसि दिया वे स्वयं ही आरोपों के बारे में नशचिती नहीं थे।

- उपराष्ट्रपति ने अपने 10 पेज के आदेश में वपिक्ष के तमाम आरोपों को नरिधार बताते हुए प्रस्ताव को खारजि करने के 22 कारण बताए।
- इस नोटसि पर जजेस इन्क्वायरी एक्ट की धारा 3(1) के तहत वचिर करने की ज़रूरत थी। इस एक्ट के तहत जजों पर लगे कसिी प्रकार के आरोप की जाँच होती है।
- चूँकि यह प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ था, इसलिये इस मामले में उनसे कोई कानूनी राय नहीं ली जा सकती थी।
- ऐसे में कानून के वशिषज्ज, संवधान वशिषज्जों और राज्यसभा तथा लोकसभा के पूर्व महासचिवों से चर्चा की गई।
- पूर्व लॉ अधिकारियों, वधि आयोग के सदस्यों और प्रख्यात न्यायवदों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
- संवधान के प्रस्तावों और जजों को हटाने के मौजूदा प्रावधानों का भी अध्ययन कया गया तथा पूरी जाँच-परख के बाद यह नषिकर्ष नकिला कयिह नोटसि सही नहीं है।
- महाभियोग प्रस्ताव राजनीति से प्रेरति है, तर्कों में मज़बूत आधार नहीं है। तकनीकी आधार पर भी प्रस्ताव में कोई मेरिट नहीं है।
- कदाचार साबति करने के लिये ठोस सबूत चाहयि, लेकिन मुख्य न्यायाधीश पर शक के आधार पर आरोप लगाए गए।
- सांसदों ने अपने प्रस्ताव में हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है का इस्तेमाल कया, जो काल्पनिक लगता है।
- कानून के कई जानकारों से इस प्रस्ताव पर वसितृत चर्चा की गई। हर आरोप पर नजिी तौर पर वचिर कया गया और तब इस नतीजे पर पहुँचा गया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कया जा सकता।
- रोस्टर बँटवारा भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है और वह मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं।
- हाल के कामनी जायसवाल बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया के मामले में 14 नवंबर, 2017 को 5 जजों की पीठ ने टपिपणी की थी कि मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट अमंग इक्वल हैं।

- जहाँ तक रोस्टर का संबंध है तो इस बारे में मुख्य न्यायाधीश के पास बेंच का गठन करने और केंसों का बँटवारा करने का अधिकार है। यह न्यायालय का अंदरूनी मामला है और वह इस पर खुद ही फैसला कर सकता है।

क्या है मास्टर ऑफ रोस्टर?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों के एक समूह ने मुख्य न्यायाधीश के व्यापक कर्तव्यों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया। ऐसा वशिष्ठ रूप से Master of Roster के रूप में मुख्य न्यायाधीश की मामलों को वभिन्न पीठों को आवंटित करने संबंधी क्षमता के संदर्भ में किया गया।

- मुख्य न्यायाधीश के कार्यों को 'संस्थागत' बनाने का यह प्रयास 12 जनवरी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया, जिसमें चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के आवंटन के तरीके के बारे में सवाल उठाए थे।
- उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश चयनात्मक रूप से संवेदनशील और राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपूर्ण मामलों को अपनी पसंदीदा बेंचों को आवंटित करते आए हैं।
- उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार वनिती करने के पश्चात् भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश समुचित कार्यवाही करने में असफल रहे हैं।
- मामले आवंटन के तरीके को संहिताबद्ध करने का प्रयास सर्वोच्च न्यायालय के भीतर स्थिति में सुधार लाने हेतु किया गया था।
- मध्यस्थ न्यायाधीशों के समूह में एस.ए. बोबडे, एन.वी. रमन, यू.यू. ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.के. सीकरी शामिल थे।
- न्यायाधीशों के इस समूह ने अपने कदम को "भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्रशासन के तहत वभिन्न क्षेत्रों में प्रथाओं और सम्मेलनों को संस्थागत एवं सशक्त बनाने" के प्रयास के उद्देश्य के रूप में देखा।
- पाँच सदस्यीय इस समूह ने मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ गहन बातचीत की और एक समिति के गठन का सुझाव दिया।
- न्यायाधीशों का यह पैल सर्वोच्च न्यायालय के अभिसमयों और प्रथाओं को संस्थागत बनाने का प्रयास करेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के अभिसमयों में यह कहा गया है कि बड़े मामलों की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये और ऐसा संभव न हो तो मामला दूसरे न्यायालय में भेजा जाना चाहिये तथा इसी तरह अदालतों के अवरोही क्रम में मामलों का स्थानांतरण किया जाना चाहिये।
- बेंचों का गठन न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिये।
- समिति का गठन और सदस्यों के बारे में विचार-विमर्श भी किया गया। लेकिन इसी बीच बातचीत बंद हो गई और सारे प्रस्ताव अधर में लटक गए।

वर्तमान स्थिति क्या है?

- 11 अप्रैल, 2018 को तीन सदस्यीय पीठ द्वारा एक नरिणय दिया गया, जिसमें यह माना गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को आवंटित करने और न्याय-पीठों का गठन करने के लिये 'वशिष्ठ वशिष्ठाधिकार' है।
- 11 अप्रैल के इस फैसले में नवंबर 2017 में पाँच न्यायाधीशों वाली संवधान पीठ के उस फैसले को दोहराया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया था।
- 13 अप्रैल, 2018 को जस्टिस ए.के. सीकरी के नेतृत्व वाली एक बेंच ने इस संबंध में पूर्व कानून मंत्री शांत भूषण द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की आवंटन संबंधी प्रक्रिया न्यायालय का आंतरिक मामला है, अतः स्वयं न्यायाधीशों को स्वशासन तंत्र का विकास करने देना चाहिये।

(टीम ट्रैकिंग इन्फो)

- वपिष के 5 आरोपों की भलीभाँति जाँच करने के बाद उपराष्ट्रपति का मानना था कि ये आरोप स्वीकार नहीं किये जा सकते, क्योंकि इस तरह के आरोपों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ठेस पहुँचती है, जो भारतीय संवधान की मूल भावना है। अतः इन कागजातों के आधार पर मुख्य न्यायाधीश दुरव्यवहार के दोषी नहीं करार दिये जा सकते हैं।
- देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च अधिकारी के खिलाफ इस तरह का फैसला लेने से पहले वपिष को इस पर बारीकी से सोचना चाहिये था, क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव से आम लोगों का न्यायपालिका में विश्वास कम होता है।

इसलिये लेना पड़ा तुरंत फैसला: इस तरह के प्रस्ताव के लिये संसदीय परंपरा का पालन करना पड़ता है। राज्यसभा के सदस्यों की हैंडबुक के पैराग्राफ 2.2 में इसका उल्लेख है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक सभापति इसे स्वीकार नहीं कर लेते। लेकिन प्रस्ताव देने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसे प्रचारित-प्रसारित कर दिया, जो कि संसदीय परंपरा के खिलाफ था। इस कारण तुरंत फैसला लेना पड़ा ताकि इस मामले में अटकलों पर रोक लग सके।

फैसले के वरिध में तरक

मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारजि किये जाने के फैसले को प्रस्तावक दलों ने असंवैधानिक और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर विचार करेंगे।

- सरकार नहीं चाहती कि कदाचार के जो आरोप सामने आए हैं, उनकी जाँच हो।
- सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाने पर मुख्य न्यायाधीश का इससे कोई लेना-देना नहीं रहेगा और इसके संवैधानिक पहलुओं पर गौर किया जाएगा।
- सभापति ने कोई जाँच कराए बिना ही इस नोटिस को खारजि कर दिया। यह असंवैधानिक, गैरकानूनी, गलत सलाह पर आधारित और जलदबाजी में लिया गया फैसला है।
- सभापति ने आरोपों की जाँच होने से पहले उनके गुण-दोषों पर फैसला कैसे कर लिया? जाँच समिति फैसला करती कि आरोप साबित होते हैं या नहीं।
- सरकार नहीं चाहती कि इसकी जाँच हो और उसका रुख न्यायपालिका को नुकसान पहुँचाने वाला है।

- 64 सांसदों ने सोच-वचार करके महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था और इसमें प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ जनि आरोपों का उल्लेख किया गया था वे बहुत गंभीर हैं।
- ऐसे में राज्यसभा के सभापति को जाँच समिति गठित करनी चाहिये थी और जाँच पूरी होने के बाद कोई फैसला करते।
- राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव पर नरिणय नहीं ले सकते, उन्हें प्रस्ताव के गुण-दोष पर फैसला करने का अधिकार नहीं है।

यह महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस किसी पार्टी की तरफ से नहीं, राज्यसभा के 64 सदस्यों की ओर से दिया गया था। इन सदस्यों की ओर से ही शीर्ष अदालत में अपील दायर की जाएगी।

सुनश्चिति हो मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल

- वर्ष 1997 से अब तक बने 17 मुख्य न्यायाधीशों में से केवल तीन का ही कार्यकाल दो साल से अधिक रहा है।
- जस्टिस दीपक मशिरा ने 28 अगस्त, 2017 को भारत को 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर, 2018 को समाप्त हो जाएगा।
- पूर्व में तीन मुख्य न्यायाधीशों--जस्टिस के.एन. सहि (1991), जस्टिस जे.सी. शाह (1970) तथा जस्टिस गोपाल वल्लभ पटनायक (2002) का कार्यकाल तो क्रमशः 17, 35 और 41 दिनों का ही रहा।
- देश में आज़ादी के बाद से अब तक कुल 14 राष्ट्रपति चुने गए हैं, जबकि इतने ही समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या 43 रही है।
- इसके मद्देनज़र समय-समय पर मुख्य न्यायाधीश के पद के लिये एक नश्चिति कार्यकाल तय करने की बात होती रही है, लेकिन इस वचार को अमल में नहीं लाया जा सका है।
- कार्यकाल की अधिकतम अवधि, उच्च दक्षता और बेहतर प्रदर्शन को सुनश्चिति करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की यह शकियत रही है कि उन्हें न्यायापालिका के लिये सुधारात्मक गतिविधियों को अंजाम तक पहुँचाने का पर्याप्त समय नहीं मिला।

वधिआयोग का सुझाव

वधिआयोग भी यह सुझाव दे चुका है कि मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल दो साल तय कर दिया जाए। वधिआयोग के मुताबकि इस सुझाव को 2022 से अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर के सबसे कनिष्ठ न्यायाधीश भी उस समय तक मुख्य न्यायाधीश बनकर सेवानवृत्त हो जाएंगे। इससे मौजूदा न्यायाधीशों का वरिष्ठता क्रम भी प्रभावित नहीं होगा। सरकार की नीति रही है कि वह गृह सचवि, वदिश सचवि तथा सीबीआई नदिशक के लिये दो साल का कार्यकाल नरिधारित करती है, तो फरि देश के मुख्य न्यायाधीश के लिये क्यों नहीं? यही कारण है कि वधिआयोग ने मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को नश्चिति करने का सुझाव दिया था।

परंपरा से बंधा है मुख्य न्यायाधीश का पद

स्थापति परंपरा के मुताबकि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नयुक्त किया जाता है और इस दौरान यह नहीं देखा जाता कि उस न्यायाधीश की सेवानवृत्तता में कतिना समय बाकी है। इस परंपरा का उल्लंघन नहीं किया जाता। पूर्व प्रधानमंत्री इंदरि गांधी ने मुख्य न्यायाधीश के पद पर नयुक्त के मामले में दो बार वरिष्ठता के पैमाने का उल्लंघन किया था, जबकि उनका उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश के लिये लंबा कार्यकाल तय करना नहीं था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नश्किर्ष: राज्यसभा में सात वपिक्षी दलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा के खिलाफ महाभियोग की प्रकरिया शुरू की थी। संवैधानिक संदर्भ में इस घटना के महत्त्व को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं प्रस्तुत करना चाहिये। इससे देश की वधियायिका और न्यायपालिका के बीच का नाजुक रश्िता प्रभावित हो सकता है, साथ ही न्यायिक स्वायत्तता और न्यायिक शुचिता के सार्वजनिक आकलन का प्रश्न और जटलि हो सकता है। जाहरि है ऐसा कदम आखिरी उपाय के तौर पर उठाया जाना चाहिये था और इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं जुड़ा होना चाहिये। वपिक्षी नेताओं ने इस संबंध में जो वक्तव्य दिये और दे रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि वपिक्ष महाभियोग प्रस्ताव के ज़रिये यह स्थापति करना चाहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका बेहद करीब हैं। महाभियोग प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि लगाए गए आरोपों का गंभीरता और सावधानीपूर्वक वशिलेषण के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यवस्था के किसी भी स्तंभ को वचारि, शब्द या कार्यकलापों के द्वारा कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय का ही नेतृत्व नहीं करते, बल्कि वह देश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख भी हैं।